भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1922

जिसका उत्तर दिनांक 05.08.2021 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1922 श्री वि. विजयसाई रेड्डी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के एक हिस्से के रूप में वित्त मंत्री द्वारा हाल में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रस्तावित सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किस तरह से प्रौद्योगिकी का उपयोग खाद्य संरक्षण के लिए किया जा सकता है और क्या यह प्रौद्योगिकी अभी भी परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के पास है या इसे निजी कम्पनियों के साथ साझा किया गया है; और

(ग) सरकारी निजी भागीदारी आधार पर इकाइयों की स्थापना से किस हद तक खाद्य सामग्री की बर्बादी, जो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 50 किलोग्राम है, को कम करने में सहायता मिलेगी और यदि इसकी गणना की जाए तो यह सालाना हजारों करोड़ रुपये की कीमत की होगी ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.05.2020 को परमाणु ऊर्जा से संबंधित निम्नलिखित सुधार प्रस्तावित किए गए हैं :

(i) कैंसर और अन्य रोगों के वहनयोग्य उपचार के माध्यम से मानवता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सीय आइसोटोप के उत्पादन हेतु पीपीपी मोड में अनुसंधान रिएक्टर स्थापित करना ।

(ii) खाद्य संरक्षण के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु पीपीपी मोड में सुविधाएं स्थापित करना ।

(iii) अनुसंधान सुविधाओं और तकनीकी उद्यमियों के बीच सहक्रियता प्रोत्साहित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास-सह-उद्भवन केंद्र स्थापित करके भारत के मजबूत मौलिक पारिस्थितिकी तंत्र को नाभिकीय क्षेत्र से जोड़ना ।

(ख) गामा विकिरण प्रौद्योगिकी का उपयोग बल्बों और ट्यूबरों में अंकुरण को रोकने, धान, दालों और अनाजों में रोगाणुनाशी, सूखे मसालों के सूक्ष्मजीव विसंदूषण (स्वच्छता) इत्यादि हेतु किया जाता है, इनके संरक्षण/निधानी आयु (सेल्फ लाइफ) बढ़ाने हेतु पूर्व-निर्धारित विकिरण मात्रा प्रयोग में लाई जाती है । प्रौद्योगिकी को निजी कम्पनियों के साथ पहले ही साझा किया जा चुका है और वर्तमान में विभिन्न उत्पादों के किरणन के लिए देश में निजी, अर्ध-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में 26 गामा विकिरण संसाधन संयंत्र प्रचालनरत हैं ।

(ग) पीपीपी मोड में खाद्य किरणन सुविधाओं की स्थापना से कृषि उत्पाद और खाद्य की फसल कटाई के बाद और भंडारण की हानियां निश्चित रूप से काफी कम होती है, जिससे राष्ट्रीय बचत होगी । तथापि, खाद्य सामग्री की बर्बादी का न्यूनन पश्च-किरणन भंडारण, किरणित खाद्य उत्पादों की कुल मात्रा, किरणन और प्रयोक्ता को वितरण के बीच व्यतीत समय जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करेगा ।

* * * * *